न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 102/2018

1 कमला पुत्री मोहनराम।
2 संतोष पुत्री मोहनराम।
3 सुलोचना पुत्री मोहनराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरी देवी पुत्री रघुवीर जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर जो गलत रूप से अपने आपको भंवरी देवी पुत्री लक्ष्मणराम पुत्र छतूराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपूरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की होना बता रही है।
2 रघुवीर पुत्र छतूराम।
3 झिमकू देवी पत्नी मोहन।
4 भागीरथी पुत्री मोहन।
5 राजू पुत्र मोहन समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 पटवारी हल्का रोसाणा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
7 तहसीलदार फतेहपुर।
8 उप पंजियक फतेहपुर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी श्रीमती रेणु मीणा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 87/2016 बउनवानी भंवरी देवी बनाम
रघुवीर वगैरह दिनांकित 19.06.2018

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.8.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने भूमि खसरा नम्बर 5,7/2,16,41/1,150,156/1, 157/1,161/3,156/332 वाके ग्राम रामपुरा तहसील फतेहपुर के संदर्भ में घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन वाद में स्वयं को गलत रूप से स्व. लक्ष्मण पुत्र स्व. छतूराम की जायंदा पुत्री होना अभिकथित करते हुए अपीलाधीन वाद स्व. लक्ष्मण की फुटस्टेप पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समक्ष प्रस्तुत किया गया था जबकि स्व. लक्ष्मण नाऔलाद फोत हुआ था, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई थी तथा उसकी पत्नी चावली देवी ने रेस्पोडन्ट संख्या 2 रघुवीर से स्व. लक्ष्मण के स्वर्गवास के पश्चात् पुर्नविवाह किया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रघुवीर के नुत्फे से चावली के पैदा हुई थी। अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. लक्ष्मण पुत्र छतूराम की पुत्री नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रघुवीर की जायंदा पुत्री है। रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सं प्रमाणित नहीं किया गया कि वहा स्वर्गीय लक्ष्मण की जायंदा पुत्री है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट से सुनवाई व सबूत साक्ष्य एवं जवाब देही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में प्रक्रियात्मक विधि के आज्ञापक प्रावधानों की कतई पालना नहीं की गई। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांटस के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने से बाबत आदेश पारित किये गये न जवाब दावा व साक्ष्य बंद किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट रोसाण में पारित किया जाना अंकित किया गया, परंतु इस निमित न तो कभी अपीलांटस को सूचित किया गया न ही अपीलांटस की ओर से कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया जबकि कैम्प कोर्ट का उद्देश्य केवल मात्र राजीनामे के जरिये प्रकरणों का निस्तारण करना ही था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की न तो सम्यक तामील हुई है, न ही इनका वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, न ही इनकी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है, न ही विचारण न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 पर प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का इकबाली जवाब दावा पेश होने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की न तो सम्यक तामील हुई है, न ही इनका वकालतनामा प्रस्तुत हुआ, न ही इनकी ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है, न ही विचारण न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पृष्ठ संख्या 3 पर प्रतिवादी संख्या 2 से 7 का इकबाली जवाब दावा पेश होने का अंकन किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर